30 II/निग0/रीवा/2018/0177-5

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, (म0प्र0)

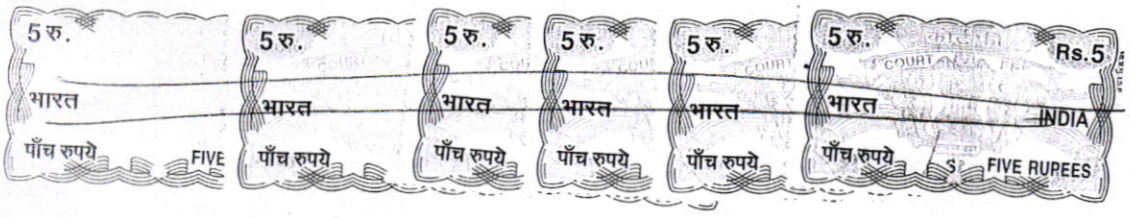

5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1– मु0 जानकी बेबा पत्नी विश्वनाथ प्रसाद ब्रा0 उम्र 90 वर्ष।

2– रमाकांत तनय विश्वनाथ ब्रा0 उम्र 55 वर्ष।

3– कृष्णाकांत तनय विश्वनाथ ब्रा0 उम्र 51 वर्ष।

4– राजेश तनय विश्वनाथ ब्रा0 उम्र 33 वर्ष।

सभी निवासी ग्राम परसधा, तह0 नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0

अधि0 श्री मुनेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा पेश/14.3.18

—————अपीलार्थीगण

बनाम्

1– जगजीवन प्रसाद उम्र 79 साल, तनय स्व0 श्री महावीराम निवासी ग्राम परसधा थाना नईगढ़ी तह0 नईगढ़ी, जिला रीवा म0प्र0

2– श्री हीरामणि प्रसाद उम्र 73 साल, तनय स्व0 श्री महावीरराम ब्रा0, निवासी पैपखरा, तह0 नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

————रेस्पा0गण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त महोदय अपर आयुक्त संभाग रीवा, जिला रीवा म0प्र0 प्र0क0 905/अपील/2017–18 दिनांक 08.03.2018 को पारित

मान्यवर

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :–

1– अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.03.2018 सर्वथा विधि विधान तथा न्यायिक प्रकिया तथा सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।

—कृष्णाकान्त चतुर्वेदी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/[redacted] 1775

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
01-08-18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र.क्र. 905/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–3–18 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया परिलक्षित है कि उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी मउञ्रांज के आदेश दिनांक 14–2–18 को इस आधार पर यथावत् रखा है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी मउञ्रांज ने आदेश दिनांक 14–2–18 से तहसीलदार को इस प्रकार के निर्देश दिये है :– **'' माननीय व्यवहार न्यायालय के प्रकरण कमांक 21 अ/2016 के आदेश दिनांक 28-8-17 में उक्त भूमियों के संबंध में निर्णय व डिक्री पारित की गई है। यह राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। अतः तहसीलदार तहसील नईगढ़ी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त डिक्री अनुपात खसरा सुधार करें''।** अनुविभागीय अधिकारी मउञ्रांज का आदेश दिनांक 14–2–18 माननीय व्यवहार न्यायालय के प्रकरण कमांक 21 अ/2016 में जारी आदेश दिनांक 28–8–17 के पालन में है। सामान्य सिद्वांत है कि यदि माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में	

राजस्व न्यायालय आदेश देता है , जब ऐसे आदेश के विरूद्व अपील/निगरानी राजस्व न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालय में न होकर उसी व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालय में होगी, जिस व्यवहार न्यायालय का मूल आदेश है। फलस्वरूप अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 905/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–3–18 से लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है जिसके कारण निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य